न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
08/2020	2020/00015	05.06.2020	26.02.2021

लैम्पस अरनोद शाखा वीरावली जरिये व्यवस्थापक श्री बलवन्त सिंह पिता हरिसिंह निवासी अरनोद जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़

– विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी प्र.सं. 219/17 दिनांक 05.02.2020 के तहत

उपस्थिति :–

1. श्री शरद चिप्पड अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री पैरोकार सरकार रसद

=: आदेश :=

दिनांक :– 26.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध निर्णय/आदेश प्रकरण संख्या 219/2017 निर्णय दिनांक 05.02.2020 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विश्वसनीय सूचना ACB कार्यालय प्रतापगढ़ को प्राप्त होने पर ACB कार्यालय पुलिस निरीक्षक एवं प्रवर्तन अधिकारी रसद एवं प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग तथा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में लैम्पस अरनोद की आकस्मिक जांच एवं निरीक्षण कया गया।

वक्त निरीक्षण जांच कार्यवाही लैम्पस अरनोद के सहायक व्यवस्थापक श्री यशवन्त सिंह की उपस्थिति में दौरान जांच कार्यवाही ज्ञात आया कि लैम्पस अरनोद पास मशीन में दर्ज रिकार्ड मात्रा गेहुं 385 कि.ग्रा. के मुकाबले 627–220 कि.ग्रा. अर्थात् 242–220 कि.ग्रा. अधिक पाया गया तथा दर्ज स्टॉक अनुसार चीनी 72 कि.ग्रा. के

जिला कलक्टर
(राज.)

Scanned with CamScanner

मुकाबले 67.490 कि.ग्रा. अर्थात् 4.510 कि.ग्रा. चीनी कम पाई गई तथा 1 लीटर केरोसीन स्टॉक अनुसार नहीं पाया गया जिसके संबंध में उपस्थित सहायक व्यवस्थापक द्वारा मौके पर ही अवगत करा दिया था कि अधिक पाई गई गेहुं की मात्रा उपभोक्ताओं द्वारा विधिवत प्राप्त कर गोदाम से बाद में उठा लेने की नियत से वहीं छोडी हुई थी तथा कम पाई गई चीनी चुहों द्वारा खा जाने तथा बारिश की सीलन से कम हुई है। इस संबंध में ACB विभाग प्रतापगढ़ द्वारा जांच परिवाद के दौरान अपीलार्थी के बयान एवं गेहुं प्राप्तकर्ता राशनकार्ड धारियों के शपथ पत्र भी उक्त परिवाद में प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर ACB कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ को प्रेषित प्रतिवेदन रिपोर्ट क्रमांक 415–17 दिनांक 11.06.2018 के क्रम में अपीलार्थी को जांच कार्यवाही दिनांक 11.10.2017 के अनुसार कारण बताओ नोटिस जरिये पत्र क्रमांक अभियोग/2019–20/219 दिनांक 11.10.2019 को जारी किया गया उक्त क्रम में अपीलार्थी द्वारा जवाब नोटिस कारण बताओ का दिनांक 22.10.2019 को बिन्दुवार स्पष्टीकरण सहीत किसी प्रकार की अनियमितता या हैराफैरी नहीं किये जाने के आशय के साथ प्रस्तुत कर दिया था फिर भी जिला रसद अधिकारी द्वारा जवाब अपीलार्थी पर गौर नहीं फरमाते हुए जरिये प्रकरण संख्या 219/2017 दिनांक 05.02.2020 को अपीलार्थी को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश संख्या 1976 के तहत् जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 एवं 17 ग का स्पष्ट उल्लंघन का दोषी मानते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र क्रमांक 79/2003 मय प्रतिभूति राशि निरस्त कर दिया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.02.2020 अपास्त फरमाते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को सूचना पत्र प्रेषित किये गये जिनकी बाद तामील सूचना विपक्षी की ओर से पैरोकार सरकार रसद प्रवर्तन अधिकारी श्री रामचन्द्र शेरावत मय मूल निर्णित पत्रावली संख्या 219/2017 निर्णय दनांक 05.02.2020 के साथ उपस्थित हुए।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम सुनी गई दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए एवं संलग्न दस्तावेजों रपोर्ट प्रतिवेदन ACB दिनांक 11.06.2018, कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.10.2019 एवं निर्णय दिनांक 05.02.2020 के हवाले से अवगत कराया कि अपीलार्थी कोई कालाबाजारी नहीं कर रहा था तथा उसके यहां उपलब्ध अधिक गेहुं की मात्रा जला उपभोक्ताओं की थी उनके शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये है तथा कम चीनी की मात्रा का भी युक्ति–युक्त जवाब दिया गया था फिर भी अपीलार्थी के द्वारा संचालित लैम्पस के जांच निरीक्षण दिनांक 11.10.2017 के पश्चात लगभग 28–30 माह पश्चात प्रकरण का निर्णय करते हुए दिनांक 05.02.2020 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जबकि वक्त कार्यवाही अथवा अन्य दिवस में भी अपीलार्थी द्वारा कोई कालाबाजारी या हैराफेरी नहीं की गई थी। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जिला कलक्टर

Scanned with CamScanner

इसी प्रकम में उपस्थित पैरोकार सरकार रसद द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वक्त जांच कार्यवाही दिनांक 11.10.2017 को अपीलार्थी के यहां पास मशीन में उपलब्ध स्टॉक के मुकाबले 242.20 कि.ग्रा. गेहुं बाद वितरण दर्शाने के बाद भी अधिक पाया जाना विधि विरूद्ध रहा है तथा उपलब्ध रिकार्ड स्टॉक के मुकाबले 4.510 कि.ग्रा. चीनी कम पाया जाना अपीलार्थी की अनियमितता को प्रदर्शित करती है। किसिका जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी के यहां की गई कार्यवाही ACB को प्राप्त सूचना पत्र के आधार पर ACB एवं रसद विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई थी जिसके संबंध में ACB द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2018 के अनुसार अपीलार्थी को युक्ति–युक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.10.2019 के जवाब दिनांक 22.10.2019 की तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जो उचित है।

बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत अपील मेमों दनांक 02.03.2020, ACB प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2018, कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.10.2019, जवाब अपीलार्थी दनांक 22.10.2019, निर्णय आदेश प्रकरण संख्या 02.09.2017 दिनांक 05.02.2020 एवं संलग्न शपथ पत्र उपभोक्ताओं दनांक 16.10.2017 के साथ–साथ प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों के साथ गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण ववेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि लैम्पस अरनोद शाखा विरावली के यहां ACB एवं रसद विभाग द्वारा की गई संयुक्त जांच निरीक्षण आकस्मिक कार्यवाही दिनांक 11.10.2017 के दौरान अधिक पाई गई गेहुं की मात्रा 242.20 कि.ग्रा. पास मशीन में वितरित होने उपरान्त गोदाम पर रखा होना तथा उक्त संदर्भ में सहायक व्यवस्थापक द्वारा प्रस्तुत जवाब की उक्त सामग्री उपभोक्ताओं की है के संबंध में संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा जरिये शपथ पत्र स्वीकार किया जाना उपलब्ध रिकार्ड में महत्व रखता है तथा कम पाई गई 4.510 कि.ग्रा. चीनी के संबंध में किए गए कथन संभावित स्वीकार योग्य प्रतीत होते है। किन्तु अपीलार्थी के यहां की गई आकस्मिक जांच कार्यवाही दिनांक 11.10.2017 के उपरान्त ACB द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2018 तथा अपीलार्थी को जारी कारण बताओं नोटिस दनांक 11.10.2019 तथा निर्णय प्रकरण 05.02.2020 कायमी अन्तराल में की गई कार्यवाहियां है जो '' लॉ ऑफ ज्युरिस्फडेन्ट'' सिविल रूल्स एवं दीवानी प्रकिया संहिता में विहित प्रावधानों के अनुसार अत्यधिक विलम्बकारी रहे है तथा अपीलार्थी द्वारा कोई दर्शित कालाबाजारी किया जाना भी उपलब्ध रकार्ड नहीं पाया गया है। जिसके आधार पर अपीलार्थी को पूर्ण रूप से सिद्ध योग्य ठहराया जा सके। ऐसी स्थित में अपीलार्थी शिथिलन के साथ क्षमा प्राप्त करने का न्यायहित में अधिकारी है। जिसे एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर विवादित आदेश प्रकरण संख्या 219/2017 निर्णय दिनांक 05.02.2020 को खारीज किया जाता है तथा जिला

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

रसद अधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध में समुचित विचार कर न्यायहित में नवीनतम युक्ति–युक्त आदेश पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर लिखाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner